न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2017 जिला–उमरिया P 1187 I-17

श्रीमती केशर साहू पति श्री केशव साहू
निवासी – किरनताल तहसील बाघवगढ़
जिला – उमरिया म.प्र.

..... आवेदिका

विरूद्ध

श्रीमती विमला सिंह पति श्री छोटेलाल सिंह
पुत्र अशोक सिंह
निवासी–सीजहटा तहसील रामपुर बाघेलान
जिला–सतना (म.प्र.)

.....अनावेदिका

श्री ... द्वारा आज दि. 12.4.17 को प्रस्तुत
12.4.17
क्लर्क ऑफ़ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

न्यायालय/कार्यालय तहसीलदार बाघवगढ़ जिला उमरिया द्वारा प्रकरण क्रमांक 6/अ–12/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 01.11.2010 जिसके विरूद्ध अपर कलेक्टर जिला उमरिया के समक्ष प्रकरण क्रमांक 63/2011–12 पुनरीक्षण प्रस्तुत किया गया था जो आदेश दिनांक 06.03.2012 को इस निर्देश के साथ समाप्त कर दिया गया कि पुनरीक्षण रेवन्यू बोर्ड में प्रस्तुत की जानी चाहिये। उपरोक्त आदेशो के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

12/4/17

माननीय महोदय,

आवेदिका की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, ग्राम किरनताल कला में स्थित भूमि खसरा नं. 76/1, रकवा 2.808 है0, आवेदिका के स्वत्व स्वामित्व एवं अधिपत्य की भूमि है। जो उसके द्वारा पूर्व भूमि स्वामी राघवेन्द्र सिंह क्षत्रिय पिता स्व लाल जयसिंह क्षत्रिय से पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 08.03.2010 को क्रय की जाकर कब्जा प्राप्त किया गया था। तब से आवेदिका का उक्त भूमि पर निरन्तर कब्जा कास्त करके चला आ रहा है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-1187-एक/2017 जिला उमरिया केशर साहू विरूद्ध विमला सिंह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01-02-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. पक्षकारों की ओर से कोई उपस्थित नहीं । 3. प्रस्तुत निगरानी तहसीलदार तहसील बाधवगढ़ के प्रकरण क्रमांक 06/अ-12/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 01-11-2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 5. अत: प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी बाधवगढ़ को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 15-04-2019 को अनुविभागीय अधिकारी बाधवगढ़ के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । 6. उभय पक्ष अभिभाषकों को नोट कराया जाये । (आर.के. जैन) 01/02/2019 सदस्य	